भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 1987.

क्र एफ. 19-1-81-सं-30.--संस्कृति के क्षेत्र में अशासकीय प्रयास के लिये सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सहायता अनुदान के रूप में व्यय किये जाने के लिये प्रतिवर्ष राज्य निधि से कुछ रकम अलग निर्धारित कर दी जाती है, जिसका उपयोग अशासकीय प्रबंधाधीन सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में किया जाना है. राज्य शासन, सहायता अनुदान के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है :--

भाग एक--प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार .--(1) ये नियम मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान नियम कहलायेंगे और उनके प्रसारित होने की तारीख से प्रभावी होंगे और सभी सहायता प्राप्त संस्थाओं का वर्ष 1987-88 के लिये अनुदान इन नियमों के अधीन निर्धारित किया जायेगा. उन संस्थाओं के लिये दूसरा अनुदान निर्धारण वर्ष 1988-89 में किया जायेगा और उसके बाद ऐसा निर्धारण प्रति दो वर्ष पर किया जायेगा.

(2) अशासकीय सांस्कृतिक संस्थायें इन नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार श्रेणीबद्ध की जाती हैं.--

(एक) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो प्रादेशिक स्तर के संगठन हैं और जो संस्कृति के क्षेत्र विशेष में तीन से अधिक वर्षों से सक्रिय हैं.

(दो) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो किसी कला विशेष में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और नियमित प्रदर्शन की व्यवस्था करती हैं.

(तीन) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो समय-समय पर लेकिन विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनियां, साहित्य समारोह आदि आयोजित करती हैं और किसी समारोह या आयोजन-विशेष के लिये सहायता चाहती हैं.

(3) इन नियमों में उल्लिखित प्राधिकारी से तात्पर्य संचालक, संस्कृति विभाग/सचिव, संस्कृति विभाग होगा.

भाग दो--सामान्य

2. सामान्य शर्तें.--आवश्यकताओं तथा उपलब्ध निधियों पर विचार करते हुए अनुदान उन अशासकीय संस्थाओं को दिया जायेगा, जो ठोस तथा धर्म निरपेक्ष साहित्यिक, रूपंकर और प्रदर्शनकारी कलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण अन्वेषण प्रदान करती हों अथवा/और प्रदर्शन आयोजन करती हों. ये अनुदान उन नियमों, उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही आगे की ऐसी शर्तों के जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें. अधीन होंगे.

3. मान्यता.--किसी भी संस्था द्वारा अधिकार के रूप में सहायता अनुदान का दावा नहीं किया जा सकेगा.

सहायता अनुदान केवल ऐसी संस्था को दिया जाएगा--

(क) जो आवेदन करने की तारीख के पूर्व कम से कम तीन वर्षों तक निरन्तर अस्तित्व में रही हों;

(ख) जो मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हों.

4. अनुदान चार प्रकार के होंगे, अर्थात :--

(एक) अनुरक्षण अनुदान,

(दो) भवन अनुदान

(तीन) उपकरण अनुदान

(चार) शिविर अथवा आयोजन अनुदान

5. किसी भी सहायता प्राप्त संस्था को चलाने वाली सोसायटी जब तक उसे राज्य शासन के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट न दी गई हो, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत की जाएगी.

6. निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा.--शासन द्वारा सहायता-प्राप्त प्रत्येक संस्था का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, संस्कृति विभाग के निरीक्षण अमले द्वारा सहायता अनुदान प्रदाय करने के उद्देश्य से तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि पूर्व में दी गई सहायता-अनुदान राशि का उचित उपयोग हुआ है, किया जायेगा.

संस्थाओं के लेखे संस्कृति विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेन्सी एवं महालेखाकार, मध्यप्रदेश को उनके विवेक पर जांच करने के लिये उपलब्ध रहेंगे.

7. प्रतिवर्ष रुपये 10,000 (आवर्ती) वार्षिक तथा रुपये 50,000 (अनावर्ती) से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखे भी संचालक, स्थानीय निधि लेखा, मध्यप्रदेश द्वारा अपने विवेकानुसार किये जाने वाले अंकेक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे.

8. किसी जातिगत या साम्प्रदायिक शिक्षण पर व्यय के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा.

9. ऐसी किसी भी संस्था को कोई अनुदान मन्जूर नहीं किया जायेगा, जिसकी आय सभी स्त्रोतों से इतनी हो, जो विभाग के मतानुसार शासकीय सहायता प्राप्त किए बिना उसका दक्षतापूर्वक संचालन कर सकने के लिये पर्याप्त हो.

10. नई संस्थाओं के मामले में अनुदान ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन निर्मुक्त किया जायगा, जिन्हें शासन विहित करे.

11. सहायता प्राप्त संस्था चलाने वाली प्रत्येक पंजीकृत सोसायटी का प्रबंधक वर्ग एक प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करेगा, जो उक्त सोसायटी और उसके प्रबंधक वर्ग की ओर से पत्र-व्यवहार करेगा और संस्था की ओर से चेकों आदि पर हस्ताक्षर भी करेगा. प्रबंधक वर्ग द्वारा उसका नाम तथा पता यथास्थिति, संस्कृति विभाग के संबंधित प्राधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा.

12. सहायता प्राप्त संस्थाओं से सम्बद्ध अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सच्चरित्र तथा सदाचारी रहना होगा.

13. (क) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधक वर्ग अपने कर्मचारियों (प्रशिक्षकों को मिलाकर) के सेवा निबंधनों में एक निबंधन यह रहेगा कि वे किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन के, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होंगे और न उससे अन्यथा रूप से संबध होंगे, और न किसी अन्य रीति से उसमें सहायता करेंगे, न वे किसी विधान-मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में प्रचार कार्य करेंगे और न अन्यथा रूप से हस्तक्षेप करेंगे और न ही इस संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे और न निर्वाचन लड़ेंगे और न उसमें भाग ही लेंगे, परन्तु —

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए वे कर्मचारी मत देने के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किन्तु वे ऐसा करते समय उस रीति का कोई संकेत नहीं देंगे, जिससे वे मत देना चाहते हैं या उन्होंने मत दिया है.

(दो) कर्मचारियों के संबंध में केवल इस कारण से ही कि उन्होंने तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित कर्त्तव्य के पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता पहुंचाई है, यह नहीं समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है.

(ख) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई आन्दोलन या गतिरोध इस नियम के क्षेत्र के भीतर आता है या नहीं, तो उस पर दिया गया शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

14. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण.—(क) सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधक वर्ग प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कुल पदों के लिए 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तथ 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे. इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों के लिए 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों तथा 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों क उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे.

(ख) यदि ऊपर उल्लिखित प्रतिशत तक किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त न हो सके, तो अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है तथापि, प्रबंधक वर्ग को निरीक्षण अधिकारी का इस बात से समाधान कराना होगा कि नियुक्तियों का विहित कोटा पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किए गए थे.

(ग) इस संबंध में समय-समय पर दिये गये शासन के अनुदेशों का पालन सहायता प्राप्त संस्थाओं में किया जायेगा.

15. जब कभी कोई सहायता प्राप्त संस्था इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा मानकों क संबंध में उसके कार्य सम्पादन पर अनुदान स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी का समाधान न कर पाय, तो वह उक्त संस्था के प्रबंधक वर्ग को एक औपचारिक चेतावनी देगा और उन दोषों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुधार के लिए कह सकेगा यदि संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक कार्यवाही न करें तो अनुदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसे अनुदान में कटौती या उसकी वापसी का आदेश दे सकेगा.

16. आवेदन करने की प्रक्रिया.—सहायता अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्था का प्रबंधक वर्ग पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन-पत्र विहित फार्मों परिशिष्ट एक से पांच में भरकर संबंधित मंजूरी प्राधिकारी को (उचित माध्यम से यदि कोई हो) 1 मई तक भेज देगा.

17. प्राधिकारी मामले की समीक्षा के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी मंगवा सकेगा.— प्राधिकारी यदि वह अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम हो तो आवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा या उसकी समीक्षा के बाद तथा अपनी निश्चित सिफारिशों के साथ उसे तत्सम्बन्धी समिति के समक्ष रखेगा जिसमें राज्य अकादमियों एवं परिषदों के सचिव सदस्य रहेंगे.

ऐसे सभी मामले जिनमें शासन की मंजूरी अपेक्षित हो, समीक्षा के बाद तथा सिफारिशों के साथ प्रतिवर्ष 1 जून तक संस्कृति विभाग में पहुंच जाना चाहिए. मंजूरी प्राधिकारी अनुदान में कटौती करने के आदेश दे सकेगा, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे.

18. छूट देने की शक्ति.—राज्य शासन सामान्य या विशेष आदश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा और उन्हें तदर्थ या किसी भी अन्य विशेष आधार पर अनुदान दे सकेगा.

19. अपील.—प्रबंधक वर्ग को अनुदान मंजूर करने या उसमें परिवर्तन करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा. तथापि, अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य शासन को की जाना चाहिए.

भाग तीन—अनुरक्षण अनुदान

20. अनुरक्षण अनुदान.—(क) अनुरक्षण अनुदान निम्नलिखित संस्थाओं के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए दिया जानेवाला आवर्ती अनुदान है.—

(एक) प्रशिक्षण संस्था

(दो) प्रदर्शनकारी कला संस्था

(ख) यह वार्षिक आधार पर मन्जूर किया जायेगा.

21. अनुरक्षण अनुदान का निर्धारण निम्नलिखित रीतियों से किया जावगा.

(एक) एक प्रशिक्षण संस्थाओं के मामले में अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल व्यय क 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, जो भी कम हो क बराबर पांच वर्षों में 90 प्रतिशत आगामी पांच वर्षों तक 80 प्रतिशत तथा इसके उपरांत 75 प्रतिशत की दर स यह शुद्ध घाटा जो भी कम हो, क आधार पर दिया जावगा.

(दो) प्रशिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत प्रदर्शनकारी, कलाकार दल (रेपर्टरी) के लिये वार्षिक अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल व्यय के 75 प्रतिशत तथा पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(तीन) अन्य संस्थाओं क लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

22. (1) उपर्युक्त नियम 21 (एक) के अधीन निश्चित किए गए अनुदान के प्रचलन की अवधि में सम्यक राशि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किसी भी नये पद के लिये उपनियम (2) में विनिदिष्ट सीमा तक अतिरिक्त अनुदान नियम 22 (एक) के अनुसार स्वीकार्य होगा.

(2) इस नियम के अधीन अतिरिक्त अनुदान उस तारीख से स्वीकार्य होगा, जिस तारीख को पद वस्तुतः भरा गया हो.

23. अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं के कर्मचारियों को मंजूर किए गए वेतन, पुनरीक्षण मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते पर अनुमानित व्यय के लिये अतिरिक्त अनुदान उपर्युक्त नियम में बताई गई सीमा तक और बताई गई रीति से संस्था द्वारा उसके देय होने की तारीख से स्वीकार्य होगा, बशर्ते कर्मचारियों को दिए गए मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता का व्यय शासन द्वारा पूर्व अनुमोदित हो.

24. अनुरक्षण अनुदान का भुगतान दो अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है. पहली किश्त प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक दे दी जावेगी. यह किश्त नियम 20 और 21 के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के लिये मंजूर अनुदान और पूर्ववर्ती वर्ष में नियम 22 और 23 के अधीन मंजूर अतिरिक्त अनुदानों, यदि कोई हों, के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. दूसरी किश्त प्रतिवर्ष 28, 29 फरवरी तक दे दी जायगी और उस वर्ष के लिये स्वीकार्य अनुदान में से भुगतान को जा चुकी पहली किश्त की रकम काट लेने और ऐसी अन्य कटौतिया कर लेने के बाद, जो पूर्ववर्ती वर्षों में अनुदान का अधिक भुगतान, यदि कोई हो, के कर दिये जाने के कारण आवश्यक समझी गई हो, निकलने वाली रकम के बराबर होगी.

25. (एक) ऐसी सांस्कृतिक संस्था के, जिसे शासकीय अनुदान प्राप्त हो रहा हो, संस्था प्रमुख सहित शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमान शासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की तत्स्थानी श्रेणियों के लिये मंजूर वेतनमानों के बराबर होंगे.

(दो) प्रशिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति/अर्हताएं वेतन का संदाय तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था अधिनियम, 19 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगी.

26. (एक) अनुदान पाने वाली कोई भी संस्था, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना नए कार्य-क्रम आरंभ नहीं करेगी.

(दो) राज्य शासन के अनुमोदन के बिना किए गए कार्यक्रम/ग विधियों क संबंध में अनुदान के लिए कोई दावा स्वीकाय नहीं होगा.

27. अनुदान के निर्धारण के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को आय माना जायेगा :—

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षा शुल्क

(2) जमा रकमों पर ब्याज

(3) आवर्ती व्यय के लिए भारत सरकार से अनुदान

(4) आवर्ती व्यय के लिए स्थानीय निकायों से अनुदान

(5) आवर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

(6) किसी भी शासकीय या अर्द्ध शासकीय निकायों से आवर्ती व्यय के लिए दान या अनुरक्षण अनुदान.

28. (एक) अनुरक्षण अनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिये सांस्कृतिक संथाओं को निम्नलिखित व्यय स्वीकार होगा :—

(क) उनके प्रशिक्षकों तथा कार्मचारियों प्रदर्शन कलाकार दल में नियुक्त कलाकारों के लिए अनुमोदित दरों पर वेतन भत्ते तथा भविष्य निधि अभिदान.

(ख) उनके विजिटिंग प्रोफेसर्स के लिए पारिश्रमिक यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता.

(ग) उनके प्रदर्शनकारी कलाकार दल (रेपर्टरी) में, अनियुक्त कलाकारों के लिए वेतन भत्ते तथा अनुमोदित दर पर भविष्य निधि अभिदान.

(दो) अनुरक्षण अनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिए—

(1) कला संस्थाओं तथा (2) अन्य संस्थाओं को निम्नलिखित व्यय स्वीकार होगा :—

(क) किसी भी अनुमोदित प्रदर्शन आयोजन के लिए किया गया स्वीकृत व्यय.

(ख) किसी भी अनुमोदित कर्मशाला के लिये किया गया स्वीकृत व्यय.

(ग) आकस्मिक व्यय, जिसमें निम्नलिखित सर्ते शामिल होंगी :—

(1) 500 रुपयों तक की पुस्तकों का क्रय

(2) यदि संस्था का स्वयं का भवन न हो, तो कलेक्टर द्वारा प्रमाणित मकान का युक्तियुक्त किराया.

(3) यदि संस्था का स्वयं का भवन हो, तो उन संस्थाओं के लिये यदि भवन की लागत दो लाख रुपये से कम हो, तो भवन के अनुरक्षण के लिए 4000 रुपये और यदि भवन की लागत तीन लाख से अधिक हो तो 7,500 रुपये.

(4) सम्बद्धकरण शुल्क

(5) विद्युत शुल्क

(6) टेलीफोन व्यय

(7) डाक टिकिट और तार

(8) फर्नीचर की मरम्मत

(9) लेखन सामग्री तथा मुद्रण

(10) कार्यालयीन व्यय

(11) लेखा परीक्षा फीस

(12) समाचार पत्र के लिए 600 रु. तक सीमित

(13) उक्त नियम के उद्देश्य के लिये संस्कृति विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अन्य कोई आयटम.

(घ) केवल सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए निम्नलिखित मदों पर अतिरिक्त आकस्मिक व्यय स्वीकार्य होगा :—

(1) पत्र-पत्रिकाओं के लिये 1200 रुपये तक सीमित.

(2) कर्मशालाओं पर आवर्ती यय.

(3) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी पर ्यय.

भाग चार—उपकरण अनुदान.

29. उपकरण अनुदान अनावर्ती अनुदान है जो किसी मान्यता प्राप्त कला/सांस्कृतिक संस्था को उपकरण और फर्नीचर के प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा. जिसमें पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, दृश्य-श्रव्य उपकरण, विद्युत उपकरण तथा ऐसी वस्तुएं शामिल होंगी, जो संस्कृति विभाग द्वारा आवश्यक समझी जाए.

30. 1. उपकरण अनुदान मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्रबन्धक वर्ग को नियम 39 में उल्लेखित प्रयोजन के लिये दिया जा सकेगा.

2. उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क) पुस्तकें, विद्युत् उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण, ध्वनि उपकरण, संगीत वाद्य, कैमरा, रेकार्ड प्लेयर तथा कर्मशाला के अन्य उपकरण पर वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत.

31. उपकरण के लिए अनुदान की मंजूरी शासन द्वारा दी जायेगी और यह अनुदान इस प्रमाण-पत्र के साथ कि व्यय की मदों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है, वाऊचरों के प्रस्तुत किये जाने पर ही देय होगा.

भाग पांच—शिविर अथवा आयोजन अनुदान.

32. शिविर अथवा आयोजन अनुदान मान्यता प्राप्त कला संस्था अथवा अन्य संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा :—

(एक) प्रशिक्षण से जुड़े किसी शिविर अथवा आयोजन के लिए

(दो) किसी विशिष्ट उद्देश्य के अन्तर्गत शिविर.

33. शिविर तथा आयोजन अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क) संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(ख) अन्य संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

34. यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उपस्थित होगी तो राज्य शासन उसके निराकरण हेतु उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक बाजपेयी, सचिव.

परिशिष्ट एक

(नियम 20)

सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र का फार्म.

संस्था का नाम ....

संस्था की श्रेणी ....

शासी निकाय ....

कर्मचारी का नाम	कर्मचारी		आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों में औसत भर्ती आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों की औसत दैनिक उपस्थिति प्रत्येक कक्षा में फीस की दर	
	अर्हताएं	वेतन	कक्षा	रु. प.
			योग ..	

(पिछले वर्ष के दौरान वार्षिक आय तथा व्यय)

आय	व्यय
..........................से..........................तक	
1. फीस, जिसमें भोजन व्यय शामिल नहीं है.	1. अध्यापक वर्ग रुपये पैसे.
2. अक्षय निधि .	2. लिपिक तथा भृत्य
3. अंशदान, दान तथा अनुदान. (विस्तृत ब्यौरे संलग्न कीजिए.)	3. किराया तथा कर
	4. आकस्मिकता व्यय
योग ..	योग ..

मनोनीत प्रतिनिधि

आगामी प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा व्यय

प्राप्तियां	रकम	व्यय	रकम
	रुपये पैसे		रुपये पैसे
		निम्नलिखित पर व्यय.	
1. अक्षय निधि से आय		1. अध्यापक वर्ग	
2. अंशदान तथा दान		2. लिपिक तथा भृत्य	
3. फीस से अनुमानित प्राप्तियां.—		3. किराया	
(क) नियत फीस		4. कर	
(ख) विशेष		5. आकस्मिकता व्यय.	
4. विविध प्राप्तियां		योग ..	
योग ..			

घोषणा पत्र

संस्था के प्रबन्धक वर्ग की ओर से मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि अधिनियम, 1987 में दी गई मान्यता और सहायता अनुदान की शर्तों तथा सहायता अनुदान नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और किया जाता रहेगा और मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि संस्था की वर्तमान अक्षय निधि, न्यास लेखा, उसकी स्थापना, गतिविधियों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण किया जाए तथा ऐसे प्रविवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं जो संस्कृति विभाग के प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाएं.

हस्ताक्षर

स्थान ....

....

तारीख ....

मनोनीत प्रतिनिधि.

परिशिष्ट दो

(नियम 21)

वर्ष 19....... का वित्तीय विवरण

.... संस्था ....

प्राप्तियां .... व्यय ....

प्राप्तियां	रुपये पैसे	व्यय	रुपये पैसे
		निम्नलिखित पर व्यय.	
अ. 1. शिक्षण शुल्क से वास्तविक आय.		1. अध्यापक वर्ग.	
2. अक्षय निधि से आय		2. लिपिक तथा भृत्य	
3. अंशदान तथा दान		3. किराया, कर तथा बीमा	
4. अन्य स्रोत (उल्लेख किया जाय उदा. मिशन, रेल्वे अथवा नगरपालिका अनुदान.)		4. आकस्मिकता व्यय (उपयुक्त मदों के ब्यौरे विवरण में संलग्न किये जाय.)	
योग ..		योग ..	
ख. सहायता अनुदान.			
क. वार्षिक रखरखाव		5. भवन	
ख. भवन		6. फर्नीचर तथा उपकरण.	
ग. विशेष		7. पुस्तकें	
घ. अन्य शेष (निर्दिष्ट किये जाएं)		8. अन्य शेष (निर्दिष्ट किए जाएं.	
योग ..		योग ..	
		कुल योग ..	
ग. आरक्षित निधि प्रारम्भिक शेष अन्तिम शेष		आरक्षित निधि को अन्तरित	

प्रमाण-पत्र

प्रबन्धक वर्ग की ओर से मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण सही है और यह कि व्यय किया गया है तथा मद 1 से 4 के अधीन व्यय का कोई भी भाग उन वस्तुओं से सम्बन्धित नहीं है जिनके लिये पृथक अनुदान मंजूर किया जा सकता है.

....

स्थान ....

मनोनीत प्रतिनिधि.

दिनांक ....

परिशिष्ट तीन

(नियम 20)

भवन अनुदान के लिये आवेदन पत्र का फार्म

संस्था का नाम ....

शासी निकाय/प्रबन्धक वर्ग ....

अनुदान का उद्देश्य ....

स्रोत तथा प्रस्तावित वास्तविक व्यय की राशि.........

स्रोत	राशि	संस्था द्वारा पहले लिया गया भवन अनुदान
1. अक्षय निधि		वर्ष, राशि, मंजूरी आदेश का क्रमांक तथा तारीख
2. अंशदान		
3. अन्य स्रोत अनुदान जिसके लिये अब आवेदन किया जा रहा है.		
योग ..		

प्रमाणित किया जाता है कि (एक) स्थल का हक ठीक है तथा प्रबन्धक वर्ग परिशिष्ट पांच के अनुसार न्यास विलेख निष्पादित करने के लिये तैयार है.

(दो) शासी निकाय/प्रबन्धक वर्ग उपर्युक्त व्यय के भाग की पूर्ति करने में सक्षम है. जिसके लिये प्रबंन्ध उत्तरदायी है.

(तीन) इसके साथ नक्शे, अनुमान तथा विशिष्ट विवरण भेजे जा रहे हैं.

स्थान ....

तारीख.......... मनोनीत प्रतिनिधि

परिशिष्ट चार

(नियम 20)

उपकरण अनुदान के लिये आवेदन पत्र का फार्म

संस्था का नाम ....

श्रेणी ....

अनुदान की राशि, जिसके लिये .... आवेदन किया जा रहा है.........................

प्रस्तावित उपकरण की कुल लागत.........................

पहले लिये गये किसी विशेष.........................

अनुदान की राशि तथा तारीख.........................

अभ्युक्ति ....

....

मनोनीत प्रतिनिधि

स्थान ....

तारीख..........

निरीक्षण अधिकारी का पृष्ठांकन

टीप.—इस आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक उपकरण की लागत तथा वस्तुओं की संख्या दर्शाते हुए एक विस्तृत सूची संलग्न की जानी चाहिये.

परिशिष्ट पांच

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज तारीख............माह......19... को एक पक्षकार .... स्थित .... संस्था के प्रबन्धक वर्ग और दूसरे पक्षकार .... संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश की मार्फत कार्य कर रहे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के बीच किया जाता है.

चूंकि .... ने .... में स्थित मकान तथा परिसरों के लिये, जिसके उत्तर में .... आदि है. (यहां मकान तथा परिसर की पहिचान के लिये पूरा विवरण दिया जाए) जिनका उपयोग उक्त संस्था के लिये किया जाएगा.......रु. के शासकीय सहायता अनुदान के लिये आवेदन किया है और .... संस्कृति विभाग की मार्फत कार्य कर रहे मध्यप्रदेश के उक्त राज्यपाल ने यह रकम शासकीय सहायता अनुदान नियमों तथा शर्तों के अध्यधीन देना स्वीकार कर लिया है.

अतएव अब यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त प्रयोजन के लिये उक्त ....द्वारा समुचित रूप से प्राप्त.....रु. की राशि के प्रतिफल स्वरूप .... उक्त .... स्वयं को निम्नानुसार आबद्ध करता है:—

(क) कि उक्त अनुदान इस समय लागू शासकीय सहायता अनुदान नियमों की या इसके बाद इनके प्रतिस्थापन या संशोधन के बाद लागू किए जाने वाले नियमों की सभी शर्तों के अध्यधीन दिया गया है और स्वीकृत किया गया है.

(ग) कि यदि इसके बाद किसी भी समय उपर्युक्त मकान या परिसरों का इस प्रयोजन को छोड़, जिसके लिये अनुदान मंजूर किया गया है किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है या यदि उक्त संस्था शासन द्वारा निरीक्षण के लिये सुलभ न रहे या सक्षमतापूर्वक न चलाई जा सकें या यदि राजनैतिक मामलों में संस्था, का संचालन, शासन द्वारा ऐसा समझा जाए कि वह संस्था में पढ़ने वाले छात्रों के हितों के प्रतिकूल हो, तो मध्यप्रदेश के राज्यपाल को किसी अन्य इच्छुक खरीददार की तुलना में उक्त मकान तथा परिसरों को, ऐसे मूल्य पर जो इसके बाद यथा उपबंधित मध्यस्थ द्वारा निश्चित किया जाए, खरीदने का पूरा अधिकारी होगा किन्तु उसमें से दिए गए अनुदान का ऐसा भाग ऐसे अनुपात में काट लिया जाएगा जो उस अनुपात के बराबर होगा, जो ऐसे मूल्यांकन का उक्त मकान या परिसर की मूल लागत हो. इसमें से एक मध्यस्थ शासन द्वारा और दूसरा उक्त.......द्वारा नियुक्त किया जायेगा और यदि उनमें सहमति न हो तो वे एक अधि-निर्णायक नियुक्त कर सकेगा और मूल्य निर्धारण के संबंध में उनका या अधिनिर्णायक का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर बधनकारी होगा.

और आगे यह करार किया जाता है कि..........रु. की उक्त राशि की प्रतिभूति के रुप में उक्त मकान और परिसर मध्यप्रदश के उक्त राज्यपाल के पास साधारण बंधक के रूप में बंधक रहेंगे और यदि मध्यप्रदेश के उक्त राज्यपाल उक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में उक्त मकान तथा परिसरों को खरीदने का निर्णय न लें तो उन्हें इसमें निर्दिष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त ....या उस समय उसके पद या हक के उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त......रु. की राशि मांग करने पर अदा.. न करने की स्थित में इसके द्वारा बंधक किये गये उक्त मकान और परिसरों को बिकवाने का और उससे प्राप्त रकम का उपयोग यथा संभव संपत्ति अधिनियम, 1882 के उपबन्धों के अनुसार उक्त.. ......रु. की रकम के भुगतान के लिये उपयोग करने का अधिकार होगा.

....

हस्ताक्षर

इसके साक्ष्य में............

गवाह... ....
1..................

2..................

टिप्पणी.—यह दस्तावेज कम से कम दो साक्षियों द्वारा अभि-प्रमाणित किया जाना चाहिये और उन्हें यह देखना चाहिये कि सभी निष्पादकों ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किये हैं. प्रत्येक साक्षी को अपने अभिप्रमाणित. के बाद यह टीप लिखने के लिये कहा जाना चाहिये कि इस पर"............ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं".

पंजीयन अधिकारियों के लिये टीप.—शासन से प्राप्त भवन अनु-दानों के प्रतिफल में सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित बंधक पत्र के रूप में सभी अनुबंध पत्र पुराने मध्यप्रदेश शासन के पृथक आगम तथा पंजीयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमशः 822-470।-आठ, तारीख 16 सितम्बर 1941 तथा 258/60नो. तारीख 20 अप्रैल 1943 के अधीन मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयक फीस से मुक्त हैं.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1987.

(61)

मध्य प्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /1872/2014/तीस भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2014

प्रति,

संचालक,
संस्कृति संचालनालय,
भोपाल.

आवक क्रमांक 1203
दिनांक 9/9/14
संस्कृति संचालनालय (म. प्र.)

विषयः- अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान नियम अंतर्गत समिति के गठन में आंशिक संशोधन।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्र. एफ 4-1/06/सं/30, दिनांक 21/02/2006

.... 0 ....

म.प्र.अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान संबंधी नियम के नियम 17 के अंतर्गत अनुदान मंजूर करने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा गठित समिति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1. आयुक्त सह संचालक, संस्कृति संचालनालय — अध्यक्ष
2. अपर सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, संस्कृति विभाग — सदस्य
3. अवर सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारत भवन न्यास — सदस्य
5. निदेशक, म.प्र.संस्कृति परिषद, उ.अलाउद्दीन खॉ संगीत एवं कला अकादमी — सदस्य
6. निदेशक, म.प्र.संस्कृति परिषद, आदिवासी लोक कला अकादमी — सदस्य

2/ समिति की अनुशंसा उपरांत अनुदान स्वीकृति संबंधी आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

3/ अपील-

योजना के नियम- 19 के अनुसार अनुदान स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत किसी भी अभ्यावेदन/अपील के निराकरण का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा।

(पदमरेखा ढोले)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 1528 /1872/2014/तीस भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-

समस्त सदस्यगण की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

D.D.

01.18
9/9/14

19 SEP 2014

8/9/14